

समाचार-प्रकाशनार्थ :-

सबने ठाना शहर को स्वच्छ बनाना

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत साईंकिल यात्रा में शामिल नागरिकों ने लिया संकल्प
प्रत्येक रविवार होगी स्वच्छता साईंकिल यात्रा

रतलाम 24 जनवरी । स्वच्छता की दौड़ में इस बार रतलाम शहर नम्बर 1 बनकर रहेगा, स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन हर कोई करेगा साथ ही इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है और सभी शहर के प्रति अपना फर्ज निभाएं और साईंकिल दौड़ के माध्यम से रतलाम नगर को भी नम्बर 1 बनाए।

रतलाम शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने की मुहिम के चलते यह संकल्प रविवार को नगर निगम द्वारा आयोजित साईंकिल यात्रा में शामिल अनेकों युवाओं, बच्चों व महिलाओं ने लिया।

साईंकिल यात्रा की शुरूआत दो बत्ती स्थित काला घोड़ा चौराहा से हुई। यहां निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वयं साईंकिल पर सवार होकर हरी झण्डी दिखाई।

दो बत्ती से शुरू हुई साईंकिल यात्रा छत्रीपुल, नगर निगम तिराहा, कालेज रोड, नाहरपुरा, डालू मोदी बाजार, गणेश देवरी, बजाज खाना, तोपखाना, नीमचौक, लौहार रोड, आबकारी चौराहा, शहीद चौक, लोकेन्द्र टॉकिज, न्यू रोड होते हुए पुनः काला घोड़ा चौराहा पहुंची। साईंकिल यात्रा के समाप्त अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपस्थितजनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

बच्चों ने कहा स्वच्छता ही स्वस्थता की कुंजी है

इस मौके पर साईंकिल यात्रा में शरीक हुए बच्चों ने स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थता की कुंजी है। हमें अपने घर, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ही अपने आसपास के क्षेत्र सहित संपूर्ण नगर को साफ व स्वच्छ रखने में अपना योगदान देना चाहिये। घर, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालना चाहिये।

आकर्षक रांगोली को सराहा

साईंकिल यात्रा के दौरान सफाई मित्र समूह ने आकर्षक रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जिसे उपस्थितजनों ने काफी सराहा। समूह ने दो बत्ती, न्यू रोड सहित शहर के प्रमुख आधा दर्जन चौराहों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता संदेश दिया।

साईंकिल यात्रियों को मिला सम्मान

रतलाम शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने की मुहिम को लेकर आयोजित साईंकिल यात्रा में शामिल साईंकिल सवारों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के टीम लीडर विजय गुप्ता व अन्य सदस्यों ने निगम आयुक्त श्री झारिया व निगम अधिकारियों का सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि साईकिल यात्रा में बालक-बालिका व युवाओं के उत्साह को देखते हुए अब प्रत्येक रविवार को स्वच्छता साईकिल यात्रा का आयोजन किया जायेगा जिसके समय व स्थल की जानकारी पृथक से दी जायेगी।

आयोजित साईकिल यात्रा में रतलाम साईकिल क्लब, पैडल फॉर फिटनेस क्लब, इप्का, पर्शिचम रेलवे के साईकिल सवारों के अलावा उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री किशोर पाटनवाला के अलावा निगम अधिकारी सर्वश्री एम.के. जैन, ए.पी. सिंह, सत्यप्रकाश आचार्य, रामचन्द्र शर्मा, राजेन्द्र मिश्रा, बी.एल. चौधरी, विकास मरकाम, सिद्धार्थ सोनी, मनीष तिवारी, कपील मारोठिया, नितिन तिवारी, बलवंत राठौर, वासुदेव बैरागी, टीम आस्था के सदस्य सर्वश्री फिरोज परवेज, राहुलसिंह राठौर, स्वागत मेहता, संस्कार गुप्ता, चेतन पड़िहाट, मंगल मालवीय सहित जनप्रतिनिधि, नागरिक, बालक-बालिकाएँ आदि सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम का संचालन सोनिया मीणा व श्री शैलेन्द्र गोठवाल ने संयुक्त रूप से किया व आभार कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास ने माना।

निगम भवन पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया करेंगे ध्वजारोहण

रतलाम 24 जनवरी । 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर निगम भवन पर प्रातः 7.30 बजे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ध्वजारोहण करेंगे। निगम भवन पर प्रातः 7.30 पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में निगम अधिकारी, कर्मचारी आदि मौजूद रहेंगे।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 24 जनवरी । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौशत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 24 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्र निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर राज रोशन सज्जन मिल रोड पर 1000, आशापुरा रेस्टोरेंट राम मंदिर पर 250, एजाज अहमद, राजकमल

सज्जन मिल रोड व कामाक्षी रेस्टोरेंट राम मंदिर पर 100–100 रुपये का स्पॉट फाईन पीओएस मशीन के माध्यम से ऑन लाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

विनोबा नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 4,88,000/- संपत्तिकर व 1,10,785/- जलकर जमा कराया

रत्नाम 24 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किंशत तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 4,88,000/- संपत्तिकर व 1,10,785/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 25 व 27 जनवरी को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास, वार्ड क्रमांक 6 व 7 के लिये 28 जनवरी को अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 29 जनवरी को तिरुपति नगर, वार्ड क्रमांक 8 के लिये 30 जनवरी को कोमल नगर, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 01 फरवरी को मार्निंग स्टार स्कूल, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 4 फरवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रत्नाम 24 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण—पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फॉटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण—पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 24 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 24 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 24 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, दुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/24.01.2021/न.पा.निगम, रतलाम.